

## 15 पुलिस थानों के नए भवन का लोकार्पण एवं 9 थानों का शुभारंभ

### चर्चा में क्यों?

18 अगस्त, 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करीब 34 करोड़ रुपए की लागत से तैयार **15 पुलिस थानों** के नवीन भवन के लोकार्पण तथा नवसृजित **9 पुलिस थानों** का शुभारंभ किया।

### प्रमुख बटि

- मुख्यमंत्री ने जयपुर, झुंझुनूं, टोंक, हनुमानगढ़, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में एक-एक, उदयपुर में 2 तथा भीलवाड़ा एवं नागौर में 3 पुलिस थानों के नए भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा जयपुर पूर्व और झुंजरपुर में 2, चूरू, हनुमानगढ़, उदयपुर, अलवर और चित्तौड़गढ़ में एक-एक नए थाने का शुभारंभ किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि क्षेत्रफल को देखते हुए प्रदेश में पुलिस थानों की संख्या में चरणबद्ध रूप से बढ़ोतरी हो। इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर नए थाने स्थापित करने के साथ ही पुलिस चौकियों को भी थानों में कर्मोन्त कया जा रहा है, ताकलोगों को शकियात दर्ज कराने के लये दूर नहीं जाना पड़े।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और ज़िला स्तर पर गंभीर एवं जघन्य अपराधों के अनुसंधान के लये **हीनयिस क्राइम मॉनटरिंग यूनिट** स्थापति की गई है।
- पुलसि थानों, प्रशासनिक भवनों का क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, थानों में सीसीटीएनएस कक्ष, साइबर कक्ष, पुलसि अनुसंधान कक्ष, महिला बैरक, रेस्ट रूम, स्वागत कक्ष आदि का नरिमाण कया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नवनरिमति पुलसि थानों- हनुमानगढ़ सदर, जहाजपुर (भीलवाड़ा) तथा महिला पुलसि थाना (नागौर) में उपस्थति जनप्रतनिधियों, पुलसि अधिकारियों-कार्मकों, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी, सीएलजी मेंबर आदि से संवाद भी कया।
- उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आमजन की उचित माहौल में सुनवाई के लये थानों में स्वागत कक्ष के नरिमाण का नवाचार कया है। करीब 454 पुलसि थानों में स्वागत कक्ष का नरिमाण हो चुका है और शेष में कार्म्य प्रगतपर है।
- प्रमुख शासन सचवि गृह अभय कुमार ने कहा कि कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के लये प्रदेश में वगित ढाई वर्ष में एक पुलसि ज़िला, 2 अतरिकित पुलसि अधीक्षक कार्यालय, 21 थानों, 2 साइबर थानों, 32 चौकियों, 2 एटीएस की चौकियों, माफियाओं पर कार्रवाई के लये एसओजी की 2 फीलड यूनिट एवं एक एंटी नार्कोटिक इकाई का गठन कया गया है। साथ ही, 2422 हेड कॉन्स्टेबल और कॉन्स्टेबल को माइनर अनुसंधान के अधिकार दये गए हैं।